भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 939

08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सेवाओं में सुधार करना

939. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:
डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित देश में आयुष सेवाओं की अवसंरचना और सुलभता में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार गुजरात सहित देश भर में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष पद्धतियों और औषधियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित देश में एनएएम के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश भर में आयुष सेवाओं की अवसंरचना और सुलभता में सुधार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की है। हालांकि, भारत सरकार ने आयुष सेवाओं की अवसंरचनात्मक विकास और सुलभता सहित आयुष पद्धतियों के समग्र विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से देश में आयुष पद्धतियों और औषधियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का प्रावधान करता है:-

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों और उप केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों का संचालन

(ii) पीएचसी, सीएचसी और डीएच में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायती/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण

(v) 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति

(vi) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

(viii) व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी)

(ix) राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता समर्थन

(x) आयुष ग्राम

(xi) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

(xii) आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का ढांचागत विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित देश में एनएएम के तहत स्वीकृत/आवंटित/जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा **संलग्नक** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, झारखंड और पश्चिमी बंगाल सहित देश में एनएएम के तहत, स्वीकृत/आवंटित/जारी और उपयोग किए गए धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		स्वीकृत/ आवंटित/ जारी	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय**	**स्वीकृत/ आवंटित/ जारी**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय**	**स्वीकृत/ आवंटित/ जारी**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय**	**स्वीकृत/ आवंटित/जारी**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	251.81	251.81	296.06	296.06	142.39	142.39	307.54	37.88
2	आंध्र प्रदेश	385.40	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	678.09	614.63	180.85	105.10	402.04	123.28	593.02	0.00
4	असम	347.15	306.65	639.52	469.38	1011.77	45.38	1735.73	0.00
5	बिहार	516.54	32.36	1686.08	1686.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	195.81	156.17	94.86	94.86	189.74	115.57	226.32	0.00
7	छत्तीसगढ़	2691.07	1786.84	841.31	580.37	0.00	0.00	2151.43	283.75
8	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	65.99	65.99	218.99	218.99	142.29	105.37	314.15	0.00
11	**गुजरात**	**244.01**	**189.09**	**466.93**	**331.34**	**1908.62**	**242.97**	**1480.71**	**0.00**
12	हरियाणा	3034.42	2789.23	647.70	610.23	1219.91	968.09	2017.73	376.35
13	हिमाचल प्रदेश	494.94	494.94	1261.80	997.43	3873.58	3410.45	3659.22	0.00
14	जम्मू-कश्मीर	2285.75	2221.86	1313.11	1245.61	4895.09	4497.66	5632.77	2801.27
15	**झारखंड**	**0.00**	**0.00**	**1309.77**	**1309.76**	**7752.57**	**6911.24**	**0.00**	**0.00**
16	कर्नाटक	2184.37	1918.76	1821.46	1653.09	1714.09	1014.46	3354.36	0.00
17	केरल	2337.59	2246.45	1153.39	1153.39	4399.83	3037.78	5326.27	0.00
18	लद्दाख	0.00	0.00	187.45	147.85	72.27	34.76	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	19.61	18.01	64.26	63.51	116.32	112.80	332.01	40.43
20	मध्य प्रदेश	5608.63	5341.19	3123.20	2867.94	1716.00	170.03	1557.68	0.00
21	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1117.7	0.00

								7	
22	मणिपुर	571.72	338.13	170.04	58.75	1723.00	0.00	0.00	0.00
23	मिजोरम	657.73	609.45	259.08	242.07	117.27	51.86	568.94	0.00
24	मेघालय	247.97	247.97	609.78	609.78	796.84	721.23	861.30	0.00
25	नागालैंड	1254.89	1254.89	232.27	232.27	495.78	450.01	305.09	0.00
26	ओडिशा	716.64	560.97	1075.38	794.73	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पुडुचेरी	47.67	46.94	200.27	195.11	623.95	462.11	0.00	0.00
28	पंजाब	89.77	43.46	527.28	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00
29	राजस्थान	2276.40	1599.97	3189.00	1713.67	0.00	0.00	3731.51	0.00
30	सिक्किम	350.44	350.44	99.30	99.30	626.06	456.47	170.37	0.00
31	तमिलनाडु	616.58	616.58	2348.27	2147.03	2428.69	1574.48	1658.94	0.00
32	तेलंगाना	0.00	0.00	3132.25	3044.95	0.00	0.00	1225.17	0.00
33	त्रिपुरा	270.08	241.27	138.71	106.22	1030.90	482.01	566.99	0.00
34	उत्तर प्रदेश	10373.86	9747.17	13809.72	11792.22	14437.60	8678.90	0.00	0.00
35	उत्तराखंड	656.46	656.46	2622.50	2547.03	1855.80	1805.56	2156.25	535.62
36	**पश्चिमी बंगाल**	**247.35**	**129.86**	**2118.05**	**1904.86**	**1056.58**	**312.11**	**1689.79**	**0.00**
	कुल	**39718.72**	**35008.71**	**45838.63**	**39645.91**	**54748.94**	**35926.97**	**42741.05**	**4075.30**